सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 908 राँची, सोमवार 24 सितम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

31 अगस्त, 2018

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-2237/गो०, दिनांक 17 सितम्बर, 2014
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-10940, दिनांक 14 नवम्बर, 2014, संकल्प सं०-2054, दिनांक 3 मार्च, 2015, संकल्प सं०-3928, दिनांक 29 अप्रैल, 2015, संकल्प सं०-10530, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017, पत्रांक-3093, दिनांक 14 मार्च, 2017, पत्रांक-5961, दिनांक 4 मई, 2017 एवं पत्रांक-7583, दिनांक 28 जून, 2017, पत्रांक-2832, दिनांक 27 अप्रैल, 2018
3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-25, दिनांक 15 फरवरी, 2016
4. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-1721, दिनांक 20 जुलाई, 2018

संख्या- 5/आरोप-1-60/2014 का.-6717-- डॉ० अनवर हुसैन, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-667/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जरीडीह, बोकारो, सम्प्रति-बर्खास्त के विरूद्ध उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-2237/गो०, दिनांक 17 सितम्बर, 2014 द्वारा चिलगड्डा पंचायत अन्तर्गत बलरामपुर एवं गोपालपुर ग्राम में मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना में और रोकड़ पंजी संधारण में गम्भीर वित्तीय

अनियमितता बरतने, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का खाता खुलवाने में उदासीनता बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है ।

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-10940, दिनांक 14 नवम्बर, 2014 द्वारा डॉ० हुसैन से स्पष्टीकरण की माँग की गई, परन्तु इनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा ।

3. डॉ० हुसैन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प सं०-2054, दिनांक 3 मार्च, 2015 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, तदेन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः संकल्प सं०-3928, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा श्री सिन्हा के स्थान पर श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, तदेन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-25, दिनांक 15 फरवरी, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित सात आरोपों में से पाँच प्रमाणित पाये गये।

5. डॉ० हुसैन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षा के क्रम में संज्ञान में आया है कि इनके विरूद्ध पूर्व में भी विभिन्न आरोपों हेतु दण्ड अधिरोपित किये गये हैं एवं इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं, देवघर के पदस्थापन काल में सरकारी राशि का गबन, धोखाधड़ी, सरकारी निदेश के विरूद्ध कार्य करना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निर्धन लाभुकों को योजना लाभ से वंचित रखने के मामले में थाना कांड सं०-12/11, दिनांक 23 फरवरी, 2011 दर्ज है। उक्त संबंधित आरोपों हेतु अभियोजन भी स्वीकृत है । इस प्रकार स्पष्ट है कि ये Habitual offender हैं और इसी कारण इनकी सेवा संपुष्ट नहीं है ।

6. डॉ० हुसैन के अंचल अधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पांकी की कार्यावधि से संबंधित आरोप के एक अन्य मामले में इन्हें विभागीय संकल्प सं०-10530, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 द्वारा सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है ।

7. इस संबंध में एक अन्य पदाधिकारी श्री जेवियर हेरेंज, बर्खास्त झा०प्र०से० के संबंध में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड से इस बिन्दु पर परामर्श प्राप्त किया गया था कि एक बर्खास्त सरकारी कर्मी को पुनः किसी अन्य मामले में बर्खास्त किया जा सकता है या नहीं ? - उक्त बिन्दु पर विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड के परामर्श के अनुसार- "There is no bar in service rule from passing order of punishment against a person already punished in different proceeding. Even in criminal proceeding the punishment is awarded separately in all the proceedings."

8. अतः समीक्षोपरांत, विभागीय पत्रांक-3093, दिनांक 14 मार्च, 2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर डॉ० हुसैन से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी तथा पत्रांक-5961, दिनांक 4 मई, 2017 एवं पत्रांक-7583, दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा स्मारित किया गया ।

9. डॉ० हुसैन से द्वितीय कारण पृच्छा अप्राप्त रहने पर दिनांक 12 सितम्बर, 2017 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अंतिम अवसर देते हुए द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया ।

10. डॉ० हुसैन के पत्रांक-231, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा में पाया गया कि इन्होंने कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया है, जिसके आधार पर इन्हें दोषमुक्त किया जा सके । अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया ।

11. विभागीय पत्रांक-2832, दिनांक 27 अप्रैल, 2018 द्वारा झारखण्ड, लोक सेवा आयोग, झारखण्ड राँची से उक्त निर्णय पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक-1721, दिनांक 20 जुलाई, 2018 द्वारा सहमति संसूचित की गयी ।

12. तत्पश्चात् दिनांक 21 अगस्त, 2018 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में डॉ० अनवर हुसैन को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

डॉ० अनवर हुसैन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-667/03), को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जरीडीह, बोकारो से संबंधित मामले में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 908 -- 50